राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 17/2009/आबकारी/जयपुर.

मनोज कुमार जायसवाल पुत्र श्री श्रीलाल जायसवाल,
निवासी मकान नं0 11, लखनपुरी कॉलोनी,
सिटी पल्स मॉल के सामने, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान सरकार, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/10/2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के प्रकरण क्रमांक प.28(सी)रिट/आब/2008/2108 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.12.2008 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आबकारी विभाग द्वारा वार्ड संख्या 11 जयपुर–शहर का वर्ष 2007–08 का कम्पोजिट अनुज्ञापत्र श्रीमती मीना टांक पत्नी श्री ओमप्रकाश टांक को जारी किया गया था, किन्तु श्रीमती मीना टांक द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा देशी मदिरा समूह वार्ड नं0 11 जयपुर नगर निगम जयपुर के लिये विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें प्रार्थी द्वारा कम्पोजिट अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 04.03.2008 को प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार देय ठेका राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा करवा दी गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन–पत्र कम्पोजिट अनुज्ञापत्र हेतु मय कम्पोजिट राशि के प्रस्तुत किया गया था, किन्तु वर्ष 2008–09 में उक्त वार्ड में कम्पोजिट मदिरा दुकान की सुविधा नहीं होने से जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर–शहर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसकी अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष की जाने पर आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 10.12.2008 से अपील अस्वीकार की गयी। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि गत वर्ष 2007–08 में देशी मदिरा समूह वार्ड नं0 11 जयपुर शहर में श्रीमती मीना टांक को कम्पोजिट अनुज्ञापत्र जारी किया गया था, जिसे दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी द्वारा मय कम्पोजिट राशि एवं स्पष्ट अंकन के साथ आवेदन–पत्र विभाग में प्रस्तुत किया गया था, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को कम्पोजिट राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाई गई। तत्पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जरिये पत्र दिनांक 04.06.2008 अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उक्त वार्ड में कम्पोजिट मदिरा दुकान की सुविधा देय नहीं है। जबकि उक्त वार्ड में देशी मदिरा की लाईसेंस फीस अनुसार बिक्री नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा देशी मदिरा के अनुज्ञापत्र को स्वीकार नहीं करते हुए, आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। आबकारी आयुक्त ने भी अपीलार्थी की अपील इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी कि उक्त वार्ड में कम्पोजिट मदिरा दुकान की सुविधा देय नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2008-(SC1)-GJX-1060-SC पारस राम, बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य उद्धरित किया गया, जिसमें निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

> "The aforesaid offer was provisionally accepted by a letter dated 30/3/1999. It appears that in the letter provisionally accepting the offer there is no mention that condition mentioned in the offer letter is rejected. On the other hand, a close reading of the acceptance letter dated 30/3/1999 clearly shows that the offer by the appellant with the condition was accepted. In our opinion, the word 'provisionally' in the acceptance letter dated 30/3/1999 only means that the offer of the appellant (with the condition) was accepted subject to his complying with the formalities mentioned in that letter.
>
> .....
>
> Learned counsel for the respondent strenuously contended that the condition in the offer was not accepted by the respondents and, therefore, the appelalnts are not entitled for any benefits during those financial years. We do not agree. We repeatedly asked the counsel for the respondent to show us in the letter of acceptance anywhere where it is mentioned that the condition was not accepted. There is no answer forthcoming to this query. Even otherwise, a reading of the letter of acceptance dated 30/3/1999 does not disclose that the conditional offer by the appellant was rejected. On the contrary, the offer was accepted with the condition. Hence, it was a concluded contract under Section 7 of the Contract Act."

लगातार.....3

उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि आबकारी आयुक्त के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को कम्पोजिट मदिरा दुकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जावे तथा जो समय व्यतीत हो चुका है, उसका समायोजन आगामी वर्ष में दिलवाया जावे; अथवा अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि मय ब्याज के रिफण्ड करवाई जावे।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वर्ष 2008–09 में नगरपालिका क्षेत्र में कम्पोजिट मदिरा दुकान की सुविधा केवल उन्हीं अनुज्ञाधारियों को प्राप्त थी, जो गत वर्ष के अनुज्ञाधारी थे तथा अपने अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन किये गये थे। नये अनुज्ञाधारियों को कम्पोजिट मदिरा समूह की सुविधा देय नहीं थी। आबकारी नीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्ष 2008–09 में नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में पड़त दुकानों के लिये केवल देशी मदिरा समूह के अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा कम्पोजिट मदिरा समूह के अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन ही गलत रूप से किया गया था। वर्ष 2008–09 में कम्पोजिट मदिरा समूह की सुविधा देय नहीं होने से आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा देशी मदिरा समूह वार्ड नं0 11 जयपुर शहर के लिये किये गये आवेदन–पत्र में स्पष्ट रूप से कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिये आवेदन किया जाना स्पष्ट है। विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा तद्नुसार राशि जमा करवाई गई है। आबकारी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कम्पोजिट मदिरा समूह का अनुज्ञापत्र इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि नये अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2008–09 में देशी मदिरा समूह में पड़त दुकानों के लिये कम्पोजिट मदिरा दुकान की सुविधा देय नहीं थी। ऐसी स्थिति में विभाग का यह दायित्व था कि अपीलार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार ही नहीं किया जाता एवं प्रथम स्तर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिये था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुए कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिये देय 8 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा

लगातार.....4

कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार देय राशि राजकोष में जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रथम दृष्टया अपीलार्थी की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यदि आलौच्य अवधि में नये अनुज्ञाधारियों को कम्पोजिट दुकान की सुविधा देय नहीं थी तो अपीलार्थी से तद्नुसार राशि क्यों जमा करवाई गई, एवं यदि जमा करवा ली गई है तो या तो विभाग उसे कम्पोजिट मदिरा समूह की दुकान का अनुज्ञापत्र जारी करे अथवा यह सम्भव नहीं हो तो विभाग अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु दायित्वाधीन है।

7. हस्तगत प्रकरण वर्ष 2008–09 से सम्बन्धित है, अतः आठ वर्ष पश्चात् मदिरा समूह का अनुज्ञापत्र जारी किया जाना व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में अपीलार्थी, उसके द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार जमा करवाई गई राशि को पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 10.12.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण आबकारी आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान हेतु जमा करवाई गई राशि बाद सत्यापन अपीलार्थी को नियमानुसार प्रतिदाय (रिफण्ड) की जावे।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मनोहर पुरी) 20/10/2016
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष